

भाग 1

प्रत्यक्षता प्रववा पापी द्वारा रखा जाने वाला

78

सं. निपुवन सस्टे दिवस मद्रासपुर क्रम 2025305024030

सं. निपुवन संख्या 202500702061977

वेब पर प्रवेस करने का दिनांक 2025-12-05 00:00:00

प्रत्यक्षता का पापी का नाम सुधीर कुमार

वेब पर प्रववा निरव पत्र

प्रत्यक्षता की प्रववामि 10982880 / 2745720.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 109830

2. प्रतीनिधिकरण शुल्क 80

3. निरीक्षण या प्रववा शुल्क

4. मूलांक के अतिप्रमाणीकरण निम्न शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. दायिक भवना

13228
2025

1 में 6 तक का योग 109910

शुल्क संपुन करने का दिनांक 2025-12-05 00:00:00

दिनांक जब वेब प्रतीनिधि या प्रववा

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए 2025-12-05 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



Government of Uttar Pradesh

e-Stamp


₹7,68,810

Certificate No : IN-UP81093056090234X
 Certificate Issued Date : 05-Dec-2025 01:34 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) / up14114404/ SAHARANPUR/ UP-SHR
 Unique Doc. Reference : SUB IN-UPUP1411440458750407461884X
 Purchased by : SAHARANPUR VIKAS PRADHIKARAN SRE THRU SUDHIR KUMAR
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : AGG. LAND AT VILLAGE MOHD. PUR BAHLOLPUR PARGANA TEHSIL AND DISTT. SAHARANPUR
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : SANJAY SO NAKLI AND OTHERS
 Second Party : SAHARANPUR VIKAS PRADHIKARAN SRE THRU SUDHIR KUMAR
 Stamp Duty Paid By : SAHARANPUR VIKAS PRADHIKARAN SRE THRU SUDHIR KUMAR
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 7,68,810
 (Seven Lakh Sixty Eight Thousand Eight Hundred And Ten only)

₹7,68,810 ₹7,68,810 ₹7,68,810 ₹7,68,810

सत्यमेव जयते

₹7,68,810



IN-UP81093056090234X

Please write or type below this line

संजय सो नक्ली और सौदागरी शीर सिंह डि. मंडरी

पुष्पा
 अलेख
 धर्मवीर
 [Signature]

0014910849

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcisstamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

विक्रय पत्र

कार्यालय का नाम :- उपनिबंधक:-सदर सहारनपुर
मूल क्षेत्राधिकार:-उपनिबंधक कार्यालय सदर द्वितीय सहारनपुर
फोटो मिलानकर्ता :-

विपिन कुमार धोमान
एडवोकेट
रजि० नं०-5076/04
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर
मो० नं०-9758311943



1-प्रतिफल की धनराशि :-मुबलिंग 1,09,82,880/- रूपये 150-सिविल कोर्ट सहारनपुर
मो० नं०-9758311943

(प्रतिफल की धनराशी में अंकन 1,000/-पूर्णांक करके अंकन 1,09,83,000/-रूपये पर
स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है)

2- कानूनी मालियत :-मुबलिंग 27,45,720/- रूपये

3- स्टाम्प शुल्क :- मुबलिंग 7,68,810/-रूपये

(ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट संलग्न है)

4-संपत्ति का प्रकार:- कृषि भूमि

5- विक्रीत संपत्ति आवास विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है।

6-संपत्ति का क्षेत्रफल:- 0.2367हे०

7-संपत्ति का विवरण :- खसरा संख्या:- 6मि०

फसली वर्ष:-1428-1433तक ,खाता खतीनी क्रम संख्या:- 00082

8-मापन की इकाई :-हेक्टेयर

धर्मिन् पूजा

सत्य श्रीराम श्रीराम श्रीराम श्रीराम श्रीराम श्रीराम



विपिन कुमार धोमान
एडवोकेट
रजि. नं. -5076/04
150-निविदा कोर्ट सहारनपुर
मो. नं. -9758311943



विपिन कुमार धोमान
एडवोकेट
रजि. नं. -5076/04
150-निविदा कोर्ट सहारनपुर
मो. नं. -9758311943


- 9- कृषि भूमि विक्रीत बाके ग्राम मौ.पुर बहलोलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर है(पृष्ठ संख्या 59 क्रमांक 452 क्षेत्र:-अर्धनगरीय) जहाँ का सरकारी निर्धारित रेट 1,16,00,000/-रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत आराजी की कानूनी मालियत अंकन 27,45,720/- रूपये होती है।
- 10- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति के सम्बन्ध में कोई अनुबंध विलेख पंजीकृत नहीं है।
- 11- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति की 200 मीटर की त्रिज्या में आवादी/अकृषक गतिविधिया मौजूद नहीं है।
- 12- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति में कोई परिसंपत्तिया नहीं है।
- 13- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति सामान्य भूमि है।
- 14- यह की निम्नलिखित संपत्ति का अंतरण सहारनपुर विकास प्राधिकरण ,सहारनपुर के हक में हो रहा है इस कारण 07 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।
- 15- यह की विक्रेता अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिसने निम्न वर्णित भूमि विक्रय करने हेतु न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मंडल सहारनपुर जनपद सहारनपुर तहसील सहारनपुर के द्वारा सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में भूमि विक्रय किये जाने हेतु अन्तर्गत धारा- 98(1) अधिनियम उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 अनुमति प्राप्त की गयी है, जिसकी छायाप्रतिया दस्तावेज हाजा के साथ संलग्न है।

सत्येंद्र शर्मा शेरसिंह




श्री. मंगरी देवराज

सत्येंद्र



धर्मेश

पूजा



बाद संख्या	कम्प्यूटीकृत संख्या	बाद	पक्षकार वनाम सरकार	आदेश दिनांक
7230/2025	D202509600007230		संजय पुत्र नकली	03-12-2025
7232/2025	D202509600007232		सौराज पुत्र रतन सिंह	02-12-2025
7228/2025	D202509600007228		शेर सिंह पुत्र रतन सिंह	02-12-2025
7231/2025	D202509600007231		श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी मान सिंह	02-12-2025
7225/2025	D202509600007225		देशराज पुत्र रतन सिंह	02-12-2025
7226/2025	D202509600007226		सुलेंद्र कुमार पुत्र रतन सिंह	02-12-2025
7224/2025	D202509600007224		धर्मेन्द्र पुत्र रतन सिंह	02-12-2025
7229/2025	D202509600007229		पूजा पुत्री श्याम सिंह	02-12-2025



16- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति , राजस्व अभिलेख / उद्धरण खतौनी के अनुसार श्रेणी-1 (क) संक्रमणीय भूमिधर अधिकार की भूमि के अन्तर्गत है तथा उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 की धारा-77 के अनुसार प्रथमतः खसरा नम्बर सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है।

17- सम्बन्धित भूमि सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारिकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किये जाने हेतु क्रय की जा रही है। काश्तकारों से विक्रीत सम्पत्ति सर्किल रेट दर के चार गुणा कीमत पर सहमति के आधार पर क्रय की जा रही है। यह कि यदि किसी त्रुटिवश माप के लिखित पढत व किसी अन्य की हिस्सेदारी या माननीय न्यायालय में किसी अन्य हिस्सेदार के पक्ष में आदेश प्राप्त होते हैं तो विक्रेता इस रकम को (जो कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण से मुआवजे / प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर रहा है) सहारनपुर विकास प्राधिकरण को वापस करने का पाबन्द व जिम्मेदार रहेगा। विकास कार्य करते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अधिक धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष की दर सहित भू-राजस्व के बकाये की भाँति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को वसूलने का अधिकार होगा

संजय सौराज शेर सिंह

श्रीमती अंगूरी देवी

पूजा



विक्रेता का विवरण संख्या (08)

1-संजय पुत्र नकली,

आ०न० XXXX XXXX 3684 पेन संख्या:-INNPS7719J

2-सोराज पुत्र रतन सिंह,

आ०न० XXXX XXXX 2371 पेन संख्या:-LLOPS5524B

3-शेर सिंह पुत्र रतन सिंह,

आ०न० XXXX XXXX 9715 पेन संख्या:-JLGPS3928P

4-श्रीमती अंगूरी पत्नी मान सिंह,

आ०न० XXXX XXXX 9913 पेन संख्या:-BBZPD7941L

ग्राम मवीखुर्द जिला सहारनपुर

5-श्री देश राज पुत्र रतन सिंह ,

आ०न० XXXX XXXX 8758 पेन संख्या:-DYZPD6823E

6-श्री सुलेन्द्र कुमार उर्फ शलेन्द्र पुत्र श्री रतन सिंह,

आ०न० XXXX XXXX 7363 पेन संख्या:-QBNPS1772P

7-श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्री रतन सिंह ,

आ०न० XXXX XXXX 4565 पेन संख्या:-EECPD6800R

8-पूजा पुत्री श्याम सिंह ,

आ०न० XXXX XXXX 9033 पेन संख्या:-GIXPP5773A

निवासीगण ग्राम मौ.पुर बहलोलपुर परगना तहसील ब जिला सहारनपुर

संजय नकली

शेरसिंह

श्रीमती अंगूरी

सुलेन्द्र

धर्मेन्द्र

पूजा

विक्रेता का विवरण संख्या	विक्रीत रकमे में प्रत्येक विक्रेता का अंश (हे०)	अंशअनुसार प्रतिफल की धनराशी (रूपये)
1-	0.01150	5,33,600/-
2-	0.00679	3,15,056/-
3-	0.01773	8,22,672/-
4-	0.17080	79,25,120/-
5-	0.00248	1,15,072/-
6-	0.00679	3,15,056/-
7-	0.01773	8,22,672/-
8-	0.00288	1,33,632/-

क्रेता का विवरण संख्या (01)

सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर-247001

(पेन नम्बर AAALS0359L) द्वारा अधिकृत पदाधिकारी /प्रतिनिधि सुधीर कुमार (अवर अभियन्ता, सहारनपुर विकास प्राधिकरण) पुत्र श्री वेद फल वाष्णेय, निवासी फ्लैट न०.202 गोवेर्धन अपार्टमेंट्स कौशमवी आईई साहिवाबाद गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश आधार संख्या XXXX XXXX 8579

मौ०:-9711305135

(उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर के पत्रांक संख्या 2529 / अर्जन / स०वि०प्रा० / 2024-25 दिनांक 11/02/2025 के द्वारा अधिकृत)

सत्येंद्र शर्मा शैरशिंह

मि० मंडरी देवराज सुलेन्द्र

धर्मेश

पूजा

सुलेन्द्र

संपत्ति प्राप्ति का स्रोत:- जो कि निम्नलिखित भूमि के विक्रेता मालिक व काबिज है और विक्रेता का नाम कागजात सरकारी खसरा खतीनी में बतौर मालिक नाम दर्ज चला आ रहा है जो विक्रेता को विरासत में प्राप्त है।

जिसके सम्बन्ध में विक्रेता को पूर्ण अधिकार मालकाना व इस्तेमाल तथा हस्तांतरण आदि के प्राप्त है और जो आज तक हर प्रकार के करजे व अनुबंध व हस्तान्तरण आदि से पाक व साफ है और जिसकी बाबत किसी न्यायालय या अन्य किसी भी जगह कोई वाद विवाद विचारधीन नहीं है लिहाजा विक्रेता ने बखुशी बिना किसी दबाव व जबर के बदरस्ती होशो हवास अपनी के निम्नलिखित भूमि को बमुकाबले अकन 1,09,82,880/- रुपये जिसके आधे 54,91,440/- रुपये होते है बदस्त क्रेता उपरोक्त के बैय कतई और फरोख्त कामिल कर दी है और कब्जा दखल व कब्जा मालकाना व बाकई अपना विक्रेता ने निम्नलिखित भूमि विक्रीत से उठाकर कब्जा दखल व कब्जा मालकाना व बाकई उस पर क्रेता उक्त का पूरी तौर पर करा दिया है और क्रेता को अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह निम्नलिखित भूमि विक्रीत पर काबिज रहकर उसमे अपनी पसंद की काश्त करे उसको रहन या बैय करे या उसको जो चाहे सौ करे और कागजात सरकारी में अपना नाम बतौर मालिक के दर्ज करा ले उजर ना होगा विक्रेता का या उसके किसी वारिस व कायम मुकामान का विक्रीत भूमि में किसी प्रकार का कोई अधिकार बाकी नहीं रहा है और ना आइन्दा को होगा यदि आज से पहले की कोई सरकारी या गैर सरकारी देनदारी निम्नलिखित भूमि विक्रीत के सम्बन्ध में वाजिव हुई तो उसको विक्रेता अदा व बेबाक करने का पाबन्द व जिम्मेदार रहेंगे। अगर आइन्दा बवजह दावेदारी किसी शख्स सहीम या हकदार किफालतदार के आराजी मुबईया कब्जा दखल व कब्जा मालकाना व बाकई क्रेता जायदाद उक्त से निकल जावे या कब्जा दखल में फर्क आवे तो क्रेता जायदाद को अधिकार प्राप्त होगा की अपना कुल विक्रय धन उपरोक्त मय हरजे खर्च के भूमि मुबईया व दीगर जायदाद माल व जात खास विक्रेता से जिस तरह से चाहे बसूल कर लेवे उजर ना होगा।

संकेत साहब शेरसिंह

मोहंशी टैराशय

शुलेन्द्र

धर्मिन्द्र

पूजा

शुलेन्द्र

तफसील जायदाद मुबइया

संक्रमणीय हकूक भूमिधरी भूमि रकबई 0.2367हे0 मुन्दर्जा खसरा संख्या 6मि० रकबई 1.1930हे0 यानि विक्रेता का कुल हक व हिस्सा यानि विक्रेतागण का कुल सर्व भाग मुतालिक खाता संख्या 00082 फसली वर्ष 1428-1433तक याके ग्राम मौ.पुर बहलोलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर मय जुमला हक हकूक हर किस्म मुतालिका उसके विला इसतसनाये किसी जुजव या हक के जिसका नक्शा संलग्न है जो दस्तावेजे हाजा का भाग है।

नोट:-उपरोक्त विक्रीत भूमि खसरा संख्या 6मि० के अंतर्गत विक्रेता का कोई अंश अथवा भाग शेष नहीं रहा है।

सीमाये

पूरब में:- - राजवाहा

पश्चिम में:- - खसरा संख्या 4,5 (क्रेता)

उत्तर में :- - सीमा ग्राम सैदपुरा

दक्षिण में :- खेत खसरा संख्या 27 (क्रेता)

तफसील वसूल जरे समन

कुल जरे समन अंकन 1,09,82,880/- विक्रेता द्वारा बैंक प्रणाली /बैंक हस्तांतरण द्वारा प्राप्त कर लिया गया है जो विक्रेतागण को प्राप्त होना स्वीकार है और कोई शेष जरे समन बाकी नहीं रहा है। जिसका विवरण विक्रय पत्र के साथ संलग्न है।

सलम शीराज रीरशिंद
 शीरशिंदी शीराज
 मुकेश धर्मेश
 पूजा
 पूजा

लिहाजा यह दस्तावेज लिख दी की सनद हो और वक्त जरूरत काम आवे।

शंकर सोपल शैरसिंह श्री मंगल
 ह० ह० ह० ह०
 शशाङ्क सुलेख धर्मिका
 ह० ह० ह० ह०
 पूजा
 ह०

साक्षी:-1 श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री ब्रह्म सिंह
 निवासी हरिपुर सहारनपुर
 ह०

साक्षी :-2 श्रीपाल पुत्र श्री चमन सिंह
 निवासी 307, विजय कॉलोनी सहारनपुर
 ह०

विपिन कुमार धीमान

रजि० नं०-507/04
 150-सिविल कोर्ट सहारनपुर
 मो० नं०-9758311943



लेखतिथि :- 05 दिसम्बर सन 2025 ई०

रचयिता:- विपिन कुमार धीमान
 एडवोकेट
 रजि० नं०-5076/04
 150-सिविल कोर्ट सहारनपुर
 मो० नं०-9758311943

सम्पत्ति का फोटो



श्री राज रीरसिंह नि. अरेखरी वैशाख सुदी

शर्मन्त पन्ना

Signature



गर्भालय
पं.सं. 77 / 2025007
सहारा नगरपालिका,
सुदूर पश्चिम प्रदेश,
सुदूर पश्चिम प्रदेश,
सुदूर पश्चिम प्रदेश

आवेदन सं०: 202500702061977

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 11073 के पृष्ठ 17 से 42 तक क्रमांक
13228 पर दिनांक 05/12/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार

उप निबंधक : सदर द्वितीय

सहारनपुर

05/12/2025



कार्यालय

सहारनपुर

विकारा

प्राधिकरण,

सहारनपुर।

पत्रक 577 / एच/वि/प्र/सेवा/2025-26

दिनांक 05-12-2025

सेवा में

शाखा प्रबन्धक,
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
मुख्य शाखा कोर्ट रोड,
सहारनपुर।

कृपया सलमन बैंक संख्या-278376, दिनांक 05.12.2025, एसीआई-44027786433, ₹0 1,09,82,880.00 (रुपये एक करोड़ नौ लाख ब्यासी हजार आठ सौ असी मात्र), जो आपको मूल रूप में एवं कृपकों के खाते की पासबुक की छायापति इस आशय से सलमन कर प्रेषित है कि निम्न तालिकानुसार अपने स्तर से सलमन पासबुक से सम्बन्धित कारतकार/कृपक के खाता संख्या, I.F.S.C विवरण आदि का गिलान अनिवार्य रूप से करतो हुए सुसंगत खाते में ही धनराशि जमा करने का कष्ट करे :-

क्र. सं.	सम्बन्धित पक्ष का नाम	धनराशि रुपये में	खाता संख्या	बैंक का नाम	I.F.S.C Code
1	श्री राजय पुत्र श्री नकली	5,33,600.00	34686543184	STATE BANK OF INDIA	SBIN0007894
		I.No.- 238230232			
2	श्री सोरज पुत्र श्री रतन सिंह	3,15,056.00	51440100006729	BANK OF BARODA	BARBDELSAM
3	श्री रतन सिंह पुत्र श्री रतन सिंह	8,22,672.00	34193279986	STATE BANK OF INDIA	SBIN0007894
		I.No.- 258199575			
4	श्रीमती जनुती शशी स्वयं श्री गन सिंह	79,25,120.00	10841311380	STATE BANK OF INDIA	SBIN0000713
		I.No.- 238350535			
5	श्री देश राज पुत्र श्री रतन सिंह	1,15,072.00	50100112596345	HDFC BANK LTD	HDFC0003440
6	श्री चुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रतन सिंह	3,15,056.00	11213211304586	UCO BANK	UCBA0001121
7	श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्री रतन सिंह	8,22,672.00	11210110096154	UCO BANK	UCBA0001121
8	पूजा देवी पुत्री श्री श्याम सिंह	1,33,632.00	34720336778	STATE BANK OF INDIA	SBIN0007894
		I.No.- 238351346			
TOTAL-		1,09,82,880.00			

सलमनक :- उपरोक्तानुसार।

राजय शोराज

भारतीय स्टेट बैंक/SBI
MAIN BRANCH C/O (00710)
05 DEC 2025
HIMANSHU SHARMA
Makor

धर्मिन्द्र

वित्त एवं प्रशासिकारी,
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

पूजा

श्री रतन सिंह

पूजा

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

भारतीय जीवन बीमा निधि
Pravrajata Aardrat Pension Card

INNPS7719J

नाम / Name
SANJAY

पिता का नाम / Father's Name
NAKLI


जन्म तिथि / Date of Birth
01/01/1977


अभिज्ञान / Signature



03/2017

संकेत



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

नाम
Soraaj


जन्म तिथि/DOB: 01/01/1986

पुल / MALE

6692 1002 2371

आधार आम आदमी का अधिकार

सौराज



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
INDIAN IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
S/O राजन सिंह, 33,
मोहम्मदपुर पहली बंगला,
दिल्ली मार्ग, महारनपुर,
महाराष्ट्र,
पिन कोड - 247001

Address:
S/O Rajan Singh, 33, Mohammadpur
Bungalow, Delhi Road, Maharajpur,
Maharashtra,
PIN Code - 247001

6692 1002 2371

Adhaar-Aam Admi ka Adhikar

सौराज

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
LLOPS5524B



नाम / Name
SORAJ

पिता का नाम / Father's Name
RATAN SINGH

जन्म की तारीख
Date of Birth
01/01/1988

हस्ताक्षर / Signature

24030093

सौराज



भारत सरकार
Government of India




शेर सिंह
Sher Singh
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1981
पुरुष / Male



4790 7257 9715

आधार - आम आदमी का अधिकार

शेर सिंह



व्यक्तिगत पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता
S/O: शेर सिंह, हाउस नं.33, देही रोड, मोहम्मदपुर बहलपुर, साहानपुर, उत्तर प्रदेश, 247001

Address:
S/O: Ratan Singh, House no.33, dehi road, mohammadpur bahalpur, Mohd.Pur Bahalpur Saharanpur, Saharanpur, Uttar Pradesh, 247001

4790 7257 9715



1800 300 1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

शेर सिंह

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

JLGPS3928P

नाम/ Name
SHER SINGH

पिता का नाम/ Father's Name
RATAN SINGH

जन्म की तारीख/ Date of Birth
01/01/1981

रौरसिंह

हस्ताक्षर/ Signature



25/12/2017

रौरसिंह
रौरसिंह



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

ANGOORI DEV;

LAL SINGH

8/11/1950

Permanent Account Number

BBZPD7941L

Signature



27042011

भारत

भारत सरकार
Government of India

Issue Date: 20/12/2014



देश
Deshraj
जन तिथि/DOB: 01/01/1985
पुल्ल/MALE

8645 9379 8758
VID : 9147 8946 3176 2709

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O: Ratan Singh, house no 48, dehli road, mohd.pur baholpur, Saharanpur, Uttar Pradesh - 247001

Address:
S/O: Ratan Singh, house no 48, dehli road, mohd.pur baholpur, Mohd.Pur Baholpur, Saharanpur, Uttar Pradesh - 247001



8645 9379 8758
VID : 9147 8946 3176 2709

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

देशराज

देशराज



आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

DYZPD6823E

नाम / Name
श्री विशाज

पिता का नाम / Father's Name
NAYAN SINGH

जन्म की तारीख / Date of Birth
01/01/1988

दिशाज
हस्ताक्षर / Signature





दिशाज
दिशाज



Government Authority of India

Address: SK: Ratan Singh, 33,
Ghosi mohammadpur bahadur, Mand Pur
Bahadur, Saharanpur, Kaleshpur, Uttar
Pradesh, 247001

4425 4157 7363



भारत सरकार
Government of India



सुरेंद्र कुमार
Surenדר Kumar
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1983
पुल्ल / Male



4425 4157 7363

आधार - आम आदमी का अधिकार

सुरेंद्र



आयकर विभाग INCOME TAX DEPARTMENT		भारत सरकार GOVT. OF INDIA	
	स्थायी लेखा संख्या कार्ड Permanent Account Number Card		
QBNPS1772P			
नाम / Name SALENDRA			
पिता का नाम / Father's Name DAYAM SINGH			
जन्म की तारीख / Date of Birth 01/01/1953		हस्ताक्षर / Signature 0000000	

सुलेन्द्र कुमार

सुलेन्द्र



4210 4423 4565
आधार - आम आदमी का अधिकार

DOB: 01/01/1979



Unique Identification Authority of India

पता: अमरज, राम सिंह, हाउस नं- 22, चिकाना रोड, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247231

Address: S/O. Ratan Singh, House no-22, Chikana road, Ferozabad, Ferozabad, Saharanpur, Chikana, Uttar Pradesh, 247231

4210 4423 4565

1400 300 1234

1400 300 1234

1400 300 1234

धर्मेंद्र



धर्मेंद्र

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या पत्र
Permanent Account Number Card

EECPD6808H

नाम / Name
DHARMENDRA

पिता का नाम / Father's Name
NATAN SINGH

जन्म की तिथि / Date of Birth
01/01/1979

हस्ताक्षर / Signature



धर्मendra

धर्मendra



भारत सरकार
Government of India



पूजा
POOJA
जन्म तिथि/DOB: 14/07/1999
SEX/FEMALE

4922 0946 9033
VID: 9162 9408 2024 0024
गैरी, आगरा, गैरी पहचान

भारतीय विश्व唯身份局
Unique Identification Authority of India

पूजा
पूजा, आगरा, गैरी पहचान, गैरी
पिन कोड - 247554

Address:
C/O: Ankant, Dumchandpur Anandpur
Karanjuli, Deoband, Saharanpur,
Uttar Pradesh - 247554



4922 0946 9033
VID: 9162 9408 2024 0024



पूजा

पूजा

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



नाम / Name
POOJA

पिता का नाम / Father's Name
SHYAM SINGH

जन्म की तारीख /
Date of Birth
14/07/1999

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

GIXPP5773A

हस्ताक्षर / Signature

पूजा

11/58



30072021



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर
वाद संख्या :- 7230/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202509600007230
संजय पुत्र नकली बनाम सरकार
अंतर्गत धारा :- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

:- आदेश :-

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री संजय पुत्र श्री नकली निवासी मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जनपद सहारनपुर द्वारा धारा-98 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत भूमि खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.0115 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदत्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के आधार पर प्रारम्भ हुयी। प्रार्थना-पत्र के अनुसार आवेदक/वादी उक्त भूमि को मा० मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को विक्रय करना चाहता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर से आख्या दिनांक 24-11-2025 प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर ने अपनी आख्या दिनांक 24-11-2025 के माध्यम से विक्रय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने की संस्तुति प्रेषित की गयी।

वाद दर्ज कर माननीय न्यायालय, कलक्टर, सहारनपुर से निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित हुआ। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार सदर, सहारनपुर की आख्या-जो उप जिलाधिकारी, सदर जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 24-11-2025 को प्रेषित की गयी है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.0115 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को विक्रय करना चाहता है। उप जिलाधिकारी सदर, जिला सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के अनुसार उक्त भूमि विक्रय के उपरान्त प्रार्थी के पास कोई भूमि शेष नहीं बचेगी। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने के दर्शाये गये कारण सही पाये गये। आवेदक/वादी अनुसूचित जाति के अल्प भूमि धारकों से भूमि क्रय कर भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करता है। प्रार्थी की भूमि बैंक/संस्था में बन्धक नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रेषित आख्या में उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा आवेदक को अनुमति दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित उक्त आख्या के आधार पर आवेदक/वादी को खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.0115 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला

पृष्ठ संख्या :

सतन



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
 मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर
 वाद संख्या :- 7230/2025
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202509600007230
 सजय पत्र नकली बनाम सरकार
 अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

सहारनपुर को अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। यह आदेश उक्त भूमि को विक्रय अनुमति मात्र प्रदान करता है। इस आदेश से स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। प्रस्तावित भूमि के अन्तरण के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है अथवा शपथ पत्र में कोई फेरबदल किया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया हो या भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अभिलेखागार में संधित की जाए।

दिनांक : 03.12.2025

(सलिल कुमार पटेल)
 अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व)
 सहारनपुर।

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर
वाद संख्या : -7232/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : -D202509600007232
शोराज पुत्र रतन सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

-: आदेश :-

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री सोराज पुत्र श्री रतन सिंह निवासी मौ0पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जनपद सहारनपुर द्वारा धारा-98 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत भूमि खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे0 में से भागानुसार 0.00679 हे0 भूमि स्थित ग्राम मो0पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदत्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के आधार पर प्रारम्भ हुयी। प्रार्थना-पत्र के अनुसार आवेदक/वादी उक्त भूमि को मा0 मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को विक्रय करना चाहता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर से आख्या दिनांक 24-11-2025 प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर ने अपनी आख्या दिनांक 24-11-2025 के माध्यम से विक्रय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने की संस्तुति प्रेषित की गयी।

वाद दर्ज कर माननीय न्यायालय कलक्टर, सहारनपुर से निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित हुआ। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अनिलेखों एवं तहसीलदार सदर, सहारनपुर की आख्या जो उप जिलाधिकारी, सदर जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 24-11-2025 को प्रेषित की गयी है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे0 में से भागानुसार 0.00679 हे0 भूमि स्थित ग्राम मो0पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को विक्रय करना चाहता है। उप जिलाधिकारी सदर, जिला सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के अनुसार उक्त भूमि विक्रय के उपरान्त प्रार्थी के पास कोई भूमि शेष नहीं बचेगी। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने के दर्शाये गये कारण सही पाये गये। आवेदक/वादी अनुसूचित जाति के अल्प भूमि धारकों से भूमि क्रय कर भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करता है। प्रार्थी की भूमि बैंक/संस्था में बन्धक नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रेषित आख्या में उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा आवेदक को अनुमति दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित उक्त आख्या के आधार पर आवेदक/वादी को खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे0 में से भागानुसार 0.00679 हे0 भूमि स्थित ग्राम मो0पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल :सहारनपुर,जनपद :सहारनपुर,तहसील :सहारनपुर
वाद संख्या :-7232/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202509600007232

श्रीराज पृथ्वीरत्न सिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


सहारनपुर को अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। यह आदेश उक्त भूमि को विक्रय अनुमति मात्र प्रदान करता है। इस आदेश से-स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। प्रस्तावित भूमि के अन्तरण के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है अथवा शपथ पत्र में कोई फेरबदल किया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया हो या भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अभिलेखागार में संवित की जाए।

दिनांक : 02.12.2025

(सतिल कुमार पटेल)
अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर।

381

श्रीराज



पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर
वाद संख्या :- 7228/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202509600007228

श्रीरसिंह पुत्र रतन सिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

—: आदेश :-

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री शेर सिंह पुत्र श्री रतन सिंह निवासी मौ०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जनपद सहारनपुर द्वारा धारा-98 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत भूमि खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.01773 हे० भूमि स्थित ग्राम मौ०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदत्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के आधार पर प्रारम्भ हुयी। प्रार्थना-पत्र के अनुसार आवेदक/वादी उक्त भूमि को मा० मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को विक्रय करना चाहता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर से आख्या दिनांक 24-11-2025 प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर ने अपनी आख्या दिनांक 24-11-2025 के माध्यम से विक्रय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि को अनुसूचित जाति से गिन्न व्यक्ति को विक्रय करने की संस्तुति प्रेषित की गयी।

वाद दर्ज कर माननीय न्यायालय कलक्टर, सहारनपुर से निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित हुआ। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार सदर, सहारनपुर की आख्याओं को उप जिलाधिकारी, सदर जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 24-11-2025 को प्रेषित की गयी है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.01773 हे० भूमि स्थित ग्राम मौ०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को विक्रय करना चाहता है। उप जिलाधिकारी सदर, जिला सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के अनुसार उक्त भूमि विक्रय के उपरान्त प्रार्थी के पास कोई भूमि शेष नहीं बचेगी। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने के दर्शाये गये कारण सही पाये गये। आवेदक/वादी अनुसूचित जाति के अल्प भूमि धारकों से भूमि क्रय कर भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करता है। प्रार्थी की भूमि बैंक/संस्था में बन्धक नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रेषित आख्या में उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा आवेदक को अनुमति दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित उक्त आख्या के आधार पर आवेदक/वादी को खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.01773 हे० भूमि स्थित ग्राम मौ०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला

पृष्ठ संख्या :

(Handwritten signature)

श्रीरसिंह





आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर
वाद संख्या : 7228/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : D202509600007228*

श्रीरासिंह पुत्र रतन सिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

सहारनपुर को अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। यह आदेश उक्त भूमि को विक्रय अनुमति मात्र प्रदान करता है। इस आदेश से स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। प्रस्तावित भूमि के अन्तरण के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है अथवा शपथ पत्र में कोई फेरबदल किया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया हो या भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक : 02.12.2025

(सलिल कुमार पटेल)
अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर।

306

श्रीरासिंह



पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल :सहारनपुर, जनपद :सहारनपुर, तहसील :सहारनपुर
वाद संख्या :-7231/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-0202509600007231
श्रीमती अंगूरी पत्नी मानसिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

—: आदेश :-

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्रीमती अंगूरी पत्नी मानसिंह निवासी ग्राम मधीखुर्द परगना व तहसील व जनपद सहारनपुर द्वारा धारा-98 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत भूमि खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.1708 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदत्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के आधार पर प्रारम्भ हुयी। प्रार्थना-पत्र के अनुसार आवेदिका/वादिया उक्त भूमि को मा० मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को विक्रय करना चाहती है।

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर से आख्या दिनांक 24-11-2025 प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर ने अपनी आख्या दिनांक 24-11-2025 के माध्यम से विक्रय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि को अनुसूचित जाति से गिन्न व्यक्ति को विक्रय करने की संस्तुति प्रेषित की गयी।

वाद दर्ज कर माननीय न्यायालय कलक्टर, सहारनपुर से निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित हुआ। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार सदर, सहारनपुर की आख्या जो उप जिलाधिकारी, सदर जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 24-11-2025 को प्रेषित की गयी है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.1708 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को विक्रय करना चाहती है। उप जिलाधिकारी सदर, जिला सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के अनुसार उक्त भूमि विक्रय के उपरान्त प्रार्थिया के पास कोई भूमि शेष नहीं बचेगी। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आवेदिका/वादिया द्वारा प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने के दर्शाये गये कारण सही पाये गये। आवेदिका/वादिया अनुसूचित जाति के अल्प भूमि धारकों से भूमि क्रय कर भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करती है। प्रार्थिया की भूमि बैंक/संस्था में बन्धक नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रेषित आख्या में उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा आवेदक को अनुमति दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित उक्त आख्या के आधार पर आवेदिका/वादिया को खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.1708 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर

वाद संख्या :- 7231/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202509600007231

श्रीमती अमरी पत्नी मानसिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

सहारनपुर को अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। यह आदेश उक्त भूमि को विक्रय अनुमति मात्र प्रदान करता है। इस आदेश से स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। प्रस्तावित भूमि के अन्तर्ण के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है अथवा शपथ पत्र में कोई फेरबदल किया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया हो या भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबंधक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक : 02-12-2025

(सलिल कुमार पटेल)
अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर।

329

श्री म.प.ते.

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर
वाद संख्या :- 7225/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D2025096000007225
देशराज पुत्र रतन सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा :- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

— आदेश :—

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री देशराज पुत्र श्री रतन सिंह निवासी ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जनपद सहारनपुर द्वारा धारा-98 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत भूमि खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.00248 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदत्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के आधार पर प्रारम्भ हुयी। प्रार्थना-पत्र के अनुसार आवेदक/वादी उक्त भूमि को मा० मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को विक्रय करना चाहता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर से आख्या दिनांक 24-11-2025 प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर ने अपनी आख्या दिनांक 24-11-2025 के माध्यम से विक्रय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने की संस्तुति प्रेषित की गयी।

वाद दर्ज कर माननीय न्यायालय क्लर्क, सहारनपुर से निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित हुआ। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार सदर, सहारनपुर की आख्या जो उप जिलाधिकारी, सदर जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 24-11-2025 को प्रेषित की गयी है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.00248 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को विक्रय करना चाहता है। उप जिलाधिकारी सदर, जिला सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के अनुसार उक्त भूमि विक्रय के उपरान्त प्रार्थी के पास कोई भूमि शेष नहीं बचेगी। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने के दर्शाये गये कारण सही पाये गये। आवेदक/वादी अनुसूचित जाति के अल्प भूमि धारकों से भूमि क्रय कर भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करता है। प्रार्थी की भूमि बैंक/संस्था में बन्धक नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रेषित आख्या में उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा आवेदक को अनुमति दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित उक्त आख्या के आधार पर आवेदक/वादी को खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.00248 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला

पृष्ठ संख्या :





आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर

वाद संख्या :- 7225/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202509600007225

देशराज पुत्र रतन सिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा :- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

सहारनपुर को अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। यह आदेश उक्त भूमि को विक्रय अनुमति मात्र प्रदान करता है। इस आदेश से स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। प्रस्तावित भूमि के अन्तरण के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है अथवा शपथ पत्र में कोई फेरबदल किया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया हो या भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्ता समझी जायेगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक : 02.12.2025

(सलिल कुमार पटेल)
अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर।

सलिल कुमार पटेल



326



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर
वाद संख्या :- 7226/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202509600007226
सुलेन्द्र कुमार पुत्र रतन सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

:- आदेश :-

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री सुलेन्द्र कुमार पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम मौ०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जनपद सहारनपुर द्वारा धारा-98 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत भूमि खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.00679 हे० भूमि स्थित ग्राम मौ०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से निम्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदत्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थना-पत्र के अनुसार आवेदक/वादी उक्त भूमि को मा० मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु अनुसूचित जाति से निम्न जाति के व्यक्ति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को विक्रय करना चाहता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर से आख्या दिनांक 24-11-2025 प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर ने अपनी आख्या दिनांक 24-11-2025 के माध्यम से विक्रय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि को अनुसूचित जाति से निम्न व्यक्ति को विक्रय करने की संस्तुति प्रेषित की गयी।


वाद दर्ज कर माननीय न्यायालय कलक्टर, सहारनपुर से निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित हुआ। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार सदर, सहारनपुर की आख्या जो उप जिलाधिकारी, सदर जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 24-11-2025 को प्रेषित की गयी है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.00679 हे० भूमि स्थित ग्राम मौ०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को विक्रय करना चाहता है। उप जिलाधिकारी सदर, जिला सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के अनुसार उक्त भूमि विक्रय के उपरान्त प्रार्थी के पास कोई भूमि शेष नहीं बचेगी। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने के दस्तावेज सही पाये गये। आवेदक/वादी अनुसूचित जाति के अल्प भूमि धारकों से भूमि क्रय कर भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करता है। प्रार्थी की भूमि बैंक/संस्था में बन्धक नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रेषित आख्या में उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा आवेदक को अनुमति दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित उक्त आख्या के आधार पर आवेदक/वादी को खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.00679 हे० भूमि स्थित ग्राम मौ०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला

पृष्ठ संख्या :

(Handwritten signature)

सुलेन्द्र





आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल :सहारनपुर, जनपद :सहारनपुर, तहसील :सहारनपुर
वाद संख्या :-7226/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202509600007226

सुलेन्द्र कुमार पुत्र रतन सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006


सहारनपुर को अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। यह आदेश उक्त भूमि को विक्रय अनुमति मात्र प्रदान करता है। इस आदेश से स्वत्व का निर्वाण नहीं होता है। प्रस्तावित भूमि के अन्तरण के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है अथवा शपथ पत्र में कोई फेरबदल किया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया हो या भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक : 02.12.2025

(सलिल कुमार पटेल)
अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर।

322

23/12/25



पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर

वाद संख्या :- 7224/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202509600007224

धर्मेन्द्र पुत्र रतन सिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

—: आदेश :-

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री धर्मेन्द्र पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जनपद सहारनपुर द्वारा धारा-98 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत भूमि खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.01773 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से निम्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदत्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के आधार पर प्रारम्भ हुयी। प्रार्थना-पत्र के अनुसार आवेदक/वादी उक्त भूमि को गा० मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण योजना हेतु अनुसूचित जाति से निम्न जाति के व्यक्ति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को विक्रय करना चाहता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर से आख्या दिनांक 24-11-2025 प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर ने अपनी आख्या दिनांक 24-11-2025 के माध्यम से विक्रय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि को अनुसूचित जाति से निम्न व्यक्ति को विक्रय करने की संस्तुति प्रेषित की गयी।

वाद दर्ज कर माननीय न्यायालय कलक्टर, सहारनपुर से निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित हुआ। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार सदर, सहारनपुर की आख्या जो उप जिलाधिकारी, सदर जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 24-11-2025 को प्रेषित की गयी है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.01773 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को विक्रय करना चाहता है। उप जिलाधिकारी सदर, जिला सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के अनुसार उक्त भूमि विक्रय के उपरान्त प्रार्थी के पास कोई भूमि शेष नहीं बचेगी। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने के दर्शाये गये कारण सही पाये गये। आवेदक/वादी अनुसूचित जाति के अल्प भूमि धारकों से भूमि क्रय कर भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करता है। प्रार्थी की भूमि बैंक/संस्था में बन्धक नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रेषित आख्या में उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा आवेदक को अनुमति दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित उक्त आख्या के आधार पर आवेदक/वादी को खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.01773 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला

पृष्ठ संख्या :





आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर
वाद संख्या :- 7224/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202509600007224

धर्मन्द् पत्र रतन सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

सहारनपुर को अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। यह आदेश उक्त भूमि को विक्रय अनुमति मात्र प्रदान करता है। इस आदेश से स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। प्रस्तावित भूमि के अन्तर्गत के लिए क्लेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है अथवा शपथ पत्र में कोई फेरबदल किया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया हो या भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक : 02-12-2025

(सलिल कुमार पटेल)
अपर क्लेक्टर (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर।

धर्मन्द्



3-30

पृष्ठ संख्या :




Government of India
 India Post

7822 2156 6592
 VID: 9148 8569 5543 3627
 भेरा लामिका, मेरी पहनाम





Government of India
 India Post

No: 7822 2156 6592
 VID: 9148 8569 5543 3627
 Address: S/O: Brahm Singh, Haripur, Saharanpur, Uttar Pradesh - 247121

7822 2156 6592
 VID: 9148 8569 5543 3627








भारत सरकार
Government of India


संजय
Sanjay
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1977
पुरुष / Male



2122 8675 3684

आधार - आम आदमी का अधिकार

संजय




आधार पहचान प्रमाणपत्र
Aadhaar Authority of India

पता:
S/O: नक़ी, हाउस नं 22, दिन्दी
रोड, मोहम्मदपुर बहलोलपुर,
मोहम्मदपुर बहलोलपुर, सहारनपुर,
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247001

Address:
S/O: Naki, house no 22, dindi
road, mohammadpur bahlolpur,
Mohd Pur Bahlolpur, Saharanpur,
Saharanpur, Uttar Pradesh,
247001

2122 8675 3684

 1947
 1800 80 1347

 help@uidai.gov.in

 www.uidai.gov.in

संजय



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर
वाद संख्या :- 7229/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202509600007229
पूजा पुत्री श्याम सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

:- आदेश :-

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही पूजा पुत्री श्याम सिंह निवासी मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जनपद सहारनपुर द्वारा धारा-98 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत भूमि खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.00288 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदत्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के आधार पर प्रारम्भ हुयी। प्रार्थना-पत्र के अनुसार आवेदिका/वादिया उक्त भूमि को मा० मुख्यमंत्री जी शहरी, विस्तारीकरण योजना हेतु अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को विक्रय करना चाहती है।

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर से आख्या दिनांक 24-11-2025 प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर ने अपनी आख्या दिनांक 24-11-2025 के माध्यम से विक्रय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि को अनुसूचित जाति से गिन्न व्यक्ति को विक्रय करने की संस्तुति प्रेषित की गयी।

वाद दर्ज कर माननीय न्यायालय कलक्टर, सहारनपुर से निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित हुआ। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार सदर, सहारनपुर की आख्या जो उप जिलाधिकारी, सदर जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 24-11-2025 को प्रेषित की गयी है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.00288 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को विक्रय करना चाहती है। उप जिलाधिकारी सदर, जिला सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 24-11-2025 के अनुसार उक्त भूमि विक्रय के उपरान्त प्रार्थिया के पास कोई भूमि शेष नहीं बचेगी। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आवेदिका/वादिया द्वारा प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने के दर्शाये गये कारण सही पाये गये। आवेदिका/वादिया अनुसूचित जाति के अल्प भूमि धारकों से भूमि क्रय कर भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करती है। प्रार्थिया की भूमि बैंक/संस्था में बन्धक नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रेषित आख्या में उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा आवेदक को अनुमति दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित उक्त आख्या के आधार पर आवेदिका/वादिया को खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 6म रकबा 1.1930 हे० में से भागानुसार 0.00288 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला

पृष्ठ संख्या :

पूजा
पूजा



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर
वाद संख्या :- 7229/2025

* कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202509600007229

पूजा पुत्री श्याम सिंह वनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

सहारनपुर को अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। यह आदेश उक्त भूमि को विक्रय अनुमति मात्र प्रदान करता है। इस आदेश से स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। प्रस्तावित भूमि के अन्तर्ण के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है अथवा शपथ पत्र में कोई फेरबदल किया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया हो या भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक : 2.12.2025

(सलिल कुमार पटेल)
अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर।

302

पूजा

पृष्ठ संख्या :

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किये जाने हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा ग्राम चुनहेटी गाड़ा, सौदपुरा एवं गौहम्मदपुर बहलोलपुर में सहमति के आधार पर खातोंदासों से प्राधिकरण के लिए किये जाने वाले बँनानों हेतु निम्न अधिकारियों व कर्मचारियों को नामित किया जाता है :-

- 1- श्री सुधीर गुप्ता, अपर अभियन्ता / श्री आशीष रावरीना, अपर अभियन्ता
- 2- राजस्व लेखपाल (उप-जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा नामित)
- 3- श्री श्रीमाल, प्रधान लिपिक, सा0वि0प्रा0

उक्त समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सहारनपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत होने वाले समस्त बँनानों की कार्यवाही नियमानुसार अपनी देख-रेख में प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें।

(संतोष कुमार राय)
उपाध्यक्ष

पत्रांक : २५२१ /अर्जन/सा0वि0प्रा0/2024-25

दिनांक ११ फरवरी, 2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- जिलाधिकारी, सहारनपुर।
- 2- अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), सहारनपुर।
- 3- उपमहानिरीक्षक, निवृद्धन, सहारनपुर।
- 4- सब-रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहारनपुर।
- 5- सचिव, सा0वि0प्रा0।
- 6- विशेष कार्यधिकारी, सा0वि0प्रा0।
- 7- वित्त एवं लेखाधिकारी, सा0वि0प्रा0।
- 8- अधिसासी अभियन्ता, सा0वि0प्रा0।
- 9- सहायक अभियन्ता व समस्त अपर अभियन्ता, सा0वि0प्रा0।
- 10- उपरोक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुपालनार्थ, सा0वि0प्रा0।
- 11- गार्ड फ़ाइल।




(संतोष कुमार राय)



भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 0000/00617/13334

Download Date: 26/08/2021

To
सुधी कुमर
Sudhi Kumar
Flat no. 202
Govardhan Apartment
Kausambi
I.E. Sahibabad
Ghaziabad Uttar Pradesh - 201010
9711325135

Issue Date: 07/09/2020

Signature Not Verified
आपका आधार प्रमाणिका
आपके द्वारा सत्यापित नहीं
किया गया है।



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

6133 6505 8579

VID : 9191 0819 5389 6884

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



सुधी कुमर
Sudhi Kumar
उपलिंगन: 0000/1966
पुरुष MALE



6133 6505 8579

VID : 9191 0819 5389 6884

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- सुदृढ़ित QR कोड / ऑफलाइन XML / ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन से पहचान प्रमाणित करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- Verify identity using Secure QR Code/ Offline XML/ Online Authentication.
- This is electronically generated letter.

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को पाना आसान बनाता है।
- आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट रखें।
- आधार को अपने स्मार्ट फोन पर रखें, mAadhaar App के साथ।

- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar helps you avail various Government and non-Government services easily.
- Keep your mobile number & email ID updated in Aadhaar.
- Carry Aadhaar in your smart phone – use mAadhaar App.




भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
फ्लॉर नं. 202, गोवर्धन अपार्टमेंट, कौसम्बी,
आई.ई. साहिबाबाद, ग्हाज़िआबाद,
उत्तर प्रदेश - 201010

Address:
Flat no. 202, Govardhan Apartment,
Kausambi, I.E. Sahibabad, Ghaziabad,
Uttar Pradesh - 201010



6133 6505 8579

VID : 9191 0819 5389 6884

1947 | Email: help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in